न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

राजस्व वाद सख्या 44/2015

देवी व अन्य बनाम कालू व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी.

1. श्री पंकज गादिया
   वकील वादियागण उपस्थित
2. श्री सूरज सिंह चौहान
   वकील अप्रार्थीगण उपस्थित

आदेश

दिनांक 19.10.2016

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने इस प्रार्थना–पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि वादीगण विवादित आराजी में हितबद पक्षकार नहीं है ना ही वे इसमें खातेदार है तथाकथित इकरारनामा सादे कागज पर तथा अपंजिकृत है । वादीगण स्वयं यह कहकर आये है कि विवादित आराजी ख.नं. 3169 कालू वल्द गंगाराम भील को आवंटित की गई थी वह इसमें खातेदार हो चुका है । खातेदार कालू इसे दिनांक 28.01.2008 को प्रतिवादी संख्या 4 को तथा प्रतिवादी सं. 4 ने इसे प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया है । आंवटित भूमि की खातेदारी को खारिज करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का नहीं है । आवंटन दि. 16.03.1975 को किया गया और 40 वर्ष बाद अब वादीगण वाद लाऐ है जिस पर वादी सं. 1 से 3 के हस्ताक्षर नहीं है वादीगण वाद लाने से बाई बाई लॉ है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज किया जावे ।

जवाब प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना–पत्र कथनों को नकारते हुऐ कथन किये हैं प्रतिवादी 1 के इकरारनामे बाबत् मैरिट पर तय होना है । विवादित आराजी का आवंटन भू प्रबंध उजरदारी के समय निरस्त किया जा चुका है । वादीगण द्वारा 01 आर 8 का नोटिस न्यायालय मं पेश किया हुआ है जिस बाबत् न्यायालय निर्देश की पालना वादीगण को करनी है । विवादित भूमि पर कब्जा पुश्तैनी ग्रामवासियों का हटवाने का चल रहा है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे ।

प्रार्थना–पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषक्षक उभय पक्षान सुनी गई । अभिभाषक प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना–पत्र बाबत् तर्क दिये कि विवादित भूमि को लेकर वादीगण ने एक अपील न्यायपालिका कलक्टर में की हुई है ऐसी स्थिति में आर.टी. एक्ट के तहत एक ही विधिनुसार को लेकर विधिनुसार दो जगह वाद नहीं चलाए जा सकते । आंवटन निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का नहीं है । वाद पत्र के पैरा 5 का अवलोकन करावे प्रार्थना–पत्र 01 आर 8 जा.दी. की एक वर्ण में पालना नहीं की गई इस बाबत् अखबार में श्याहा करने का तलबाना भी पेश नहीं किया गया है । कौज ऑफ एक्शन भी नहीं दर्शाया है । अतः मेरा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण सव्यय निरस्त किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

वितर्क में अभिभाषक वादीगण ने तर्क दिये कि वाद एविडेन्स से सिद्ध किया जाना है । संशोधित भूमि आवंटन नियम 14 (4) के तहत कलक्टर से प्रार्थना की गई है जिस पर धारा 10 जा0दी0 के प्रावधान लागू नहीं होते । मैने 01 आर 8 का प्रार्थना–पत्र पेश किया लेकिन इस बाबत् न्यायालय के कोई निर्देश नहीं है । सुर्पीम कोर्ट की रूलिंग 2011 (2) आर एल डब्ल्यू 1964 के अनुसार वाद पत्र ही पढ़ा जाना है प्रतिवादी द्वारा दिये गये जवाब को नहीं । वाद सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे ।

उभय पक्षान की बहस के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातानुसार ही प्रतिवादी सं. 1 विवादित आराजी में खातेदार है जबकि वादीगण किसी भी रूप में विवादित आराजी में हितबद्ध पक्षकार नहीं है वे केवल मात्र मौखिक कथन करके आये है कि विवादित आराजी के प्रतिवादी 1 द्वारा वादीगण एवं ग्रामवासियान के हक में चारागाह के लिए छोड दिया था । तथाकथित फोटो स्टेट हलफनामा दिनांक 04.09.1977 व इकरारनामा दिनांक 06.09.1977 जिस पर गवाह हेमाराम गूर्जर जो देंवास का है के हस्ताक्षर है । जवाब प्रार्थना–पत्र में वादीगण ने कथन किये है कि भू–प्रबन्धन उजरदारी में आवंटन निरस्त किया जा चुका है प्रमाण–स्वरूप कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है । दूसरे यह कि प्रकरण में भूमि आवंटन नियम 14 (4) के तहत कार्यवाही न्यायालय कलक्टर, अजमेर में विचाराधीन है जिसे अभिभाषक वादीगण स्वीकारते है जिस बाबत् कोई कथन वाद पत्र में नहीं किये है । यह वाद खातेदारी खारिज कराने के लिए लाए है और दस्तावेजी साक्ष्य आवंटन से संबंधित पेश किये है जिसे खारिज करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं है । वादीगण 14 (4) की कार्यवाही के चलते धारा 10 जा.दी. के प्रावधानानुसार ऐसा वाद लाने से बार्ड बाई लॉ है । इस प्रकार वादीगण 14 (4) की कार्यवाही के लंबित रहते यह वाद लाने से विधि द्वारा वर्जित है ।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में आर.एल.डब्ल्यू. 2011 (2) पेज 1694 के सिद्धांत लागू नहीं होते प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण 07 आर 11 स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 19.10.2016 को सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 13:53:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: